न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

अनुवान मांगीलाल बनाम मुखाराम आदि

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दावा सं. 222/2024

निर्णय दिनांक 31/01/25

मांगीलाल पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी तोलासर तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान

— वादी —

बनाम

1. मुखाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी दलूसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. रामकुमार पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी दलूसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू

— प्रतिवादीगण —

उपस्थिति —

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर, आदेश सींवर एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री श्योलाल गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं0 1 ता 2
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 3

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में स्थित है। जिसमें से वादी का 400/951 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 100/317 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 का 251/951 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकितानुसार है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का अपने–अपने हिस्सा के अनुसार वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से वादगत भूमि में के अपने खातेदारी हिस्सों के मुताबिक मौखिक व्यावहारिक बंटवारा कर मौके पर माप करके आपसी रजामन्दी से मौखिक बंटवारा के मुताबिक सींव कायम कर ली थी। पक्षकारान वाद द्वारा आपसी सहमति

उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर (चूरू)

से किये मौखिक व्यावहारिक बंटवारा को नीचे दावा के परिशिष्ट 'अ' की उपमद 'क' ता 'ग' में दर्ज किया जा रहा है :–

परिशिष्ठ – "अ"

(क) **हिस्सा भूमि वादी** – कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से मध्य भाग की 5.0580 हैक्टेयर भूमि मौखिक व्यावहारिक बंटवारा के अनुसार वादी हिस्से में आई। जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग** से प्रदर्शित किया गया है।

(ख) **हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1** – कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से दिखणादे पासे की 3.7935 हैक्टेयर भूमि मौखिक व्यावहारिक बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 हिस्से में आई। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग** से प्रदर्शित किया गया है।

(ग) **हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 2** – कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से उतरादे पासे की 3.1739 हैक्टेयर भूमि मौखिक व्यावहारिक बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी सं0 2 हिस्से में आई। जिस पर प्रतिवादी सं0 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में पीले रंग** से प्रदर्शित किया गया है।

दावा में संलग्न नजरी नक्शा एनेक्शचर "ए" दावा का अभिन्न भाग एवं अंशशुमार है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार है। मौखिक व्यवहारिक बंटवारा के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 नजरी नक्शा एनेक्शचर 'ए' में प्रदर्शितानुसार भूमि के हुए जुबानी बंटवारे के मुताबिक मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी अपनी हिस्सा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरा रंग भरकर दर्शाया गया है जिसकी घोषणा करवाकर अलग खाता व लगान कायम करवाने का कानूनी अधिकारी है। इसलिए नजरी नक्शा के अनुसार हरे रंग भरे हिस्से की घोषणा हेतु दावा पेश किया जा रहा है। वादी ने व्यावहारिक मौखिक बंटवारे में आई अपनी हिस्सा भूमि को काफी मेहनत करके उपजाउ बनाया है। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 लालची एवं झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है। जो हर समय सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं जिस कारण एक

खण्ड अधिकारी
दारशहर (चूरू)

साथ काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 मौखिक व्यावहारिक बंटवारे को मानने से इनकार कर रहे हैं और वादी को शक्ति के वल पर उसकी हिस्सा भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह अपनी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग कायम करवाये जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा मौखिक तौर पर किये गये मौखिक व्यवाहारिक बंटवारा के मुताबिक मौके की कब्जे काश्त बाबत कभी कोई विवाद नहीं हुआ और बंटवारे के पश्चात से ही सूचारू रूप से मौके पर एलानियां तौर पर बंटवारा सूरत काबिज होकर शांतिपूर्वक सतत रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब विवाद बढने से दावा हाजा प्रस्तुत करने के सिवाए दीगर कोई उपाय नहीं होने से अदालतवाला की सहायता से अपने हिस्सा अनुसार खाता विभाजन की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवाने के लिए दावा हाजा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से खाता विभाजन बाबत कई बार कहा एवं कहलवाया लेकिन वोह टालमटोल करते रहा और आखिरकार दिनांक 01.12.2024 को रोही दूलसर तहसील भानीपुरा में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने खाता विभाजन करवाने से इनकार कर दिया। इसलिए इनकारी दिनांक से वादी सह हिस्सेदार होने के कारण खाता विभाजन का अधिकारी है और वादी के पक्ष में वादकारण व वादाधार वादी को प्राप्त है। प्रतिवादी सं0 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भानीपुरा को दावा से पहले कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन इनके विरूद्ध कोई नुकसानदायक अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए बगैर नोटिस दिये वाद पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से अन्दर मियाद पेश है। वादी ने दावा में अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से मध्य भाग की 5.0580 हैक्टेयर भूमि वादी नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित मौखिक व्यावहारिक बंटवारे के मुताबिक भूमि अपने नाम से करवाने का अधिकारी है तथा उक्त कृषि भूमि में से दिखणादे पासे की 3.7935 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम एवं उक्त कृषि भूमि में से उतरादे पासे की 3.1739 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज की जावे। यह कि दावा की मद सं0 2 के परिशिष्ट "अ" की मद 'क' ता 'ग' में अंकितानुसार एवं **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे, लाल व पीले रंग** से प्रदर्शित भूमि का मौखिक व्यवहारिक बंटवारा के अनुसार संयुक्त खाता विभाजित करके वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का लगान एवं खाता अलग कायम किया जावे। यह कि प्रतिवादी सं0 3 को

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

आदेशित किया जावे कि वोह विभाजन की अन्तिम डिक्री के मुताविक वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का खाता एवं लगान अलग कायम करके विभाजन का नक्शा किश्तवार में अंकन करके राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कर दुरूस्ती करे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से दिलवाया जावे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वोह भी प्रदान किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 की ओर से श्री श्योलाल गोदारा एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबाल जबाब दावा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर पैरोकार राज उपस्थित। प्रतिवादी सं0 3 के विरूद्ध कोई प्रतिकूल अनुतोष दावा में नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी सं0 3 को दावा डिक्री होने की सूरत में न्यायालय के आदेश की पालना करनी है। वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी सं0 3 का जबाब बन्द करने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी सं0 3 का जबाब बन्द किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन के लिए सहमति होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। वादी व प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन कर बहस की इस्तदुआ चाही।

बहस पक्षकारान वाद सुनी गई। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया और प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' की ओर ध्यान दिलाते हुए आपसी सहमति से एनेक्श्चर 'क' के अनुसार खाता विभाजन की सहमति प्रकट की कि कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से मध्य भाग की 5.0580 हैक्टेयर भूमि वादी के हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग** से प्रदर्शितानुसार, कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से दिखणादे पासे की 3.7935 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग** से प्रदर्शितानुसार तथा कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से उतरादे पासे की 3.1739 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं0 2 हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में पीले रंग** से प्रदर्शितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग खाता विभाजन किया जाने का निवेदन किया। नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' को निर्णय का भाग रखने का निवेदन किया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन पर सहमति होने से वादगत कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार होने से उनके मध्य खाता विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

वकुलाए पक्षकारान के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि पक्षकारान वाद वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त जबाब दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' के अनुसार करवाने पर सहमत है। फलस्वरूप पक्षकारान वाद की वादगत कृषि भूमियों का खाता विभाजन संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' के अनुसार करवाने के कानूनी अधिकारी है।

आदेश

वाद वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 3 तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से मध्य भाग की 5.0580 हैक्टेयर भूमि वादी के हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग** से प्रदर्शितानुसार, कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से दिखणादे पासे की 3.7935 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग** से प्रदर्शितानुसार तथा कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से उतरादे पासे की 3.1739 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं0 2 हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में पीले रंग** से प्रदर्शितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग खाता विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे और तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर निर्णय आदेश की पालना करे। भूमि रहन यथावत रहेगी। नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' निर्णय का भाग रहेगा। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 31/01/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल–47 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D-1)
बइजलास दिव्या RAS
अनुवान मांगीलाल बनाम मुखाराम आदि
दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दावा सं. 222/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई रू ब रू उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर हाजरी **महेन्द्र कुमार सीवंर, आदेश सींवर** मिनजानिब मुद्दई **श्योलाल गोदारा** व **तहसीलदार भानीपुरा**

....................मिनजानिबमुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्र दी जाती है कि कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से मध्य भाग की 5.0580 हैक्टेयर भूमि वादी के हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग** से प्रदर्शितानुसार, कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से दिखणादे पासे की 3.7935 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग** से प्रदर्शितानुसार तथा कृषि भूमि ख0 नं0 215/135 तादादी 12.0254 हैक्टेयर रोही मौजा दलूसर तहसील भानीपुरा में से उतरादे पासे की 3.1739 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं0 2 हिस्से में रखी जाकर **नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में पीले रंग** से प्रदर्शितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग खाता विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे और तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर निर्णय आदेश की पालना करे। भूमि रहन यथावत रहेगी। नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' निर्णय का भाग रहेगा।

....बीज ....मुबलिग ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल नगदी रू.. का अदा करें।

मेरे दस्तखत मुहर अदालत से आज तारीख ....31.............माह 01/25........ को जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	02	00			
मीजान	07	00	मीजान	04	00

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म दर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया दो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।